

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 236/2023/ सरफैसी

ओरिक्स लिजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पता: प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 94, मरोल कॉ-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड(ईस्ट) मुंबई

.....प्रार्थी

बनाम

1. हरि ओम इंटरप्राइजेज पता: प्लॉट नंबर 24, रेवेन्यु विलेज उदयपुर शहर, आनंद विहार, टेकरी मादडी लिंक रोड, नियर संजय वाटिका, उदयपुर, राजस्थान 313001
अन्य पता: शॉप नंबर 3, टेकरी रोड, उदयपुर, राजस्थान 313001
2. रवि बांगर पता: प्लॉट नंबर 24, रेवेन्यु विलेज उदयपुर शहर, आनंद विहार, टेकरी मादडी लिंक रोड, नियर संजय वाटिका, उदयपुर, राजस्थान 313001
अन्य पता: C/o M/s हरि ओम इंटरप्राइजेज शॉप नंबर 3, टेकरी रोड, उदयपुर, राजस्थान 313001
3. रेनू बांगर पता: प्लॉट नंबर 24, रेवेन्यु विलेज उदयपुर शहर, आनंद विहार, टेकरी मादडी लिंक रोड, नियर संजय वाटिका, उदयपुर, राजस्थान 313001
4. विद्या सागर बांगर पता: प्लॉट नंबर 24, रेवेन्यु विलेज उदयपुर शहर, आनंद विहार, टेकरी मादडी लिंक रोड, नियर संजय वाटिका, उदयपुर, राजस्थान 313001
अन्य पता: C/o M/s हरि ओम इंटरप्राइजेज शॉप नंबर 3, टेकरी रोड, उदयपुर, राजस्थान 313001
5. मनोरमा बांगर पता: प्लॉट नंबर 24, रेवेन्यु विलेज उदयपुर शहर, आनंद विहार, टेकरी मादडी लिंक रोड, नियर संजय वाटिका, उदयपुर, राजस्थान 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री हर्षवर्धन सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 08-01-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 1,02,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (All that piece and parcel of Plot no. 24, Khasra no. 1619, 1621 Mi/1, 1621/2, 1621/3, 1622, 1623/1, 1624/1, 1625/1 situated at Revenue village Udaipur Shahar, Anand Vihar, behind Sanjay Vatika, Tekri Madri lind

जिला कलक्टर
उदयपुर

road, Udaipur, Raj 313001, Plot area 1980 sq. ft. and bounded as: North- other's plot, South- road 40' wide, East- plot no. 25, West- plot no. 23) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर

दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.04.2023 तक 1,25,74,040.86/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 1,02,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.04.2023 तक 1,25,74,040.86/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(All that piece and parcel of Plot no. 24, Khasra no. 1619, 1621 Mi/1, 1621/2, 1621/3, 1622, 1623/1, 1624/1, 1625/1 situated at Revenue village Udaipur Shahar, Anand Vihar, behind Sanjay Vatika, Tekri Madri lind road, Udaipur, Raj 313001, Plot area 1980 sq. ft. and bounded as: North- other's plot, South- road 40' wide, East- plot no. 25, West- plot no. 23)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर